


फर्द अहकाम  
(नियम 15)

निर्णय  
11.12.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
कुम्भाराम बनाम सुरेन्द्र आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 624 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
05.12.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p>	
9.12.2025	<p>9 कुलार फरिदकेन उपरिखती वादी व प्रकीवतीका। ने हाजिर अयातत आकर शर्णीनामा पेरा किया जिसे काउ वरतीकु शामिल फरिद बिपा गणा प्रगावली वादते स्टेट जजम आर्.डी.ए 11/12/2025 को पेरा हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p>	<p>अति कुमाएण</p>  <p>Subscribed</p> <p>सुरेन्द्र</p>
11.12.2025	<p>9 कुलार फरिदकेन उपरिखती स्टेट जजम प्राप्त दुष्का व हस सुनी गरी प्रगावली का अगलेकन बिपा गणा प्रगावली पर उपरख्य रिमाई कही व वादी प्रकीवती के शर्णीनामा के आकर पर कदवडि डिहरी बिपा जला है। पूर्ण बिबरन सहित निर्णय अलग से लिखाय जाकर शाहिल फरिद बिपा जागे प्रगावली नयत से कस की जाकर काउ वरतीकु शामिल जादा दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p>	